संख्या-111/2019/2039/छप्पन-2019-43/2015

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2019

विषय : राजकीय Augusta A109S, VT-UPL Helicopter के इंजिनों में लगे फ्यूल नोजेल्स के Repair/Cleaning कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-449/CADUP/ENG(PUR)/A-4/2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि नियमित अनुरक्षण के क्रम में राजकीय Augusta A109S, VT-UPL Helicopter के इंजिनों के कुल 24 फ्यूल नोजेल्स, जो कि Cleaning तथा Functional चेक के लिए ड्यू था, को निकाल कर Serviceable फ्यूल नोजेल्स से बदल दिया गया था तथा निकाले हुए फ्यूल नोजेल्स को निदेशालय के Quarantine भण्डार में वापस कर दिया गया था। लगभग 600 उड़ान घण्टे के बाद पुन: लगे हुए फ्यूल नोजेल्स को निकाल कर Serviceable फ्यूल नोजेल्स से अथवा लगे हुए फ्यूल नोजेल्स में खराबी होने की स्थिति में बदला जाना होगा। उक्त प्रयोजन से निदेशालय के Quarantine भण्डार में उपलब्ध Unserviceable फ्यूल नोजेल्स का Repair/Cleaning करवा कर निदेशालय के भण्डार में रखा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त कार्य को इंजिन के निर्माता M/s Pratt & Whitney Component Solutions U.S.A. से सम्पादित किये जाने हेतु प्राप्त कोटेशन के अनुसार 24 फ्यूल नोजेल्स के Repair/Cleaning कराये जाने हेतु यू.एस. डालर-429.00 प्रति की दर से कुल 24 फ्यूल नोजेल्स के Repair/Cleaning हेतु कुल यू.एस. डालर 10296.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 74.00 प्रति यू.एस. डालर की विनिमय दर से रूपये-7,61,904/-(रूपये सात लाख इकसठ हजार नौ सौ चार) मात्र का व्यय निहित है। अत: श्री राज्यपाल इंजिन के निर्माता M/s. Pratt & Whitney Component Solutions U.S.A. से राजकीय Augusta A109S, VT-UPL Helicopter के Fuel Nozzle Hybrid,Part No. 305642-02, Qty. 10 and Fuel Nozzle Airblast, Part No. 3056565-03, Qty. 14 इस प्रकार कुल 24 फ्यूल नोजेल्स के Repair/Cleaning कराये जाने हेतु निर्माता कम्पनी से प्राप्त हुए ई-मेल दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से प्राप्त कोटेशन के अनुसार यू0एस0 डालर 10296.00 भारतीय मुद्रा में बैंक चार्जेज सहित कुल रूपये-7,61,904/-(रूपये सात लाख इकसठ हजार नौ सौ चार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत धनराशि के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में निर्माता कम्पनी को वायर ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात् अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा की जाएगी। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन एवं यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-840/दस-2019 दिनांक 18 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

<u>पृ0सं0-111/2019/2039(1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।